



# कार्यालय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)



दूरभाष क्रमांक 07762-232668,

ई-मेल:- cmhoraigarh@rediffmail.com

क्र०/एम.एन.एच./कोवि-19/2020/4562

रायगढ़ दिनांक 02/11/2020

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी  
जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र,  
कलेक्टोरेट परिसर  
रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

विषय:- कोविड-19 अंतर्गत धनात्मक मरीजों के होम आईसोलेशन में रहने के उपरांत अवधि पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र जिले के वेबसाइट में अपलोड करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत रायगढ़ जिले में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु रायगढ़ शहरी क्षेत्र में पॉजीटिव मरीजों के होम आईसोलेशन में रहने के दौरान होम आईसोलेशन अवधि पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र चाही जा रही है। जिस हेतु कोविड-19 पॉजीटिव मरीजों द्वारा कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ में आने के कार्यालयीन कार्य बाधित होने तथा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

जिससे कोविड-19 धनात्मक मरीजों के होम आईसोलेशन अवधि पूर्ण होने उपरांत उन्हें जारी किये जाने वाले "होम आईसोलेशन पूर्णता प्रमाण पत्र" को आनलाईन के माध्यम से दिया जाना है। जिस हेतु संबंधितों का प्रमाण पत्र पीडीएफ (सॉफ्ट कॉपी) तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

अतः "होम आईसोलेशन पूर्णता प्रमाण पत्र" को रायगढ़ जिले के वेबसाइट [www.raigarh.nic.in](http://www.raigarh.nic.in) में अपलोड करने का कष्ट करें। जिससे पॉजीटिव मरीजों को होम आईसोलेशन पूर्णता प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो सके।  
(संलग्न:- उपरोक्तानुसार)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 02/11/2020

पृ.क्र०/एम.एन.एच./कोवि-19/2020/4563-71

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, ब्लॉक क्रमांक-1, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. जिला सर्विलेंस अधिकारी, कोविड-19, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, कार्यालय कलेक्टर रायगढ़, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला- रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. जिला प्रबंधक शहरी- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यालयीन प्रति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला रायगढ़ (छ.ग.)